LL.B. (3 YEAR) -II ND SEMESTER

भारतीय दण्ड संहिता –2

यूनिट–3

1– चोरी

2– उदद्‌ापन

3– लूट और डकैती

4– आपराधिक पुर्विनियोग

5– आपराधिक न्यास भंग

6– छल के बारे में

7– कूट रचना

<u>चोरी के विषय में धारा (378 – 382)</u>

चोरी : (धार 378)

''जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से, उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम सम्पत्ति बईमानी से लेने का आशय रखते हुये वह सम्पत्ति ऐसे लेने के लिये हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है।''

स्पष्टीकरण 01–

जब तक कोई वस्तु भूवद्ध रहती है, जंगम सम्पत्ति न होने से चोरी का विषय नही होती, किन्तु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है।

स्पष्टीकरण 02–

हटाना 'जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे पृथक्करण किया गया है, चोरी हो सकेगा।

स्पष्टीकरण 03–

जो व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है यह कहा जाता है जब वह बाधा को हटाता है जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो या जब वह उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा जब वह वास्तव में उसे हटाता है।

स्पष्टीकरण 04–

वह व्यक्ति किसी साधन द्वारा किसी जीव जन्तु का हटाना कारित करता है, उस जीव जन्तु को हटाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसी हर एक चीज को हाटता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गयी गति के परिणाम स्वरूप , उस जीव जन्तु द्वारा हटायी जाती है।

स्पष्टीकरण 05–

परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त था विवक्षित हो सकती है और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है।

दृष्टान्त

क. य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को काट डालता है। यहॉ ज्यों ही क ने इस प्रकार लेने के लिये उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की।

ख, क अपनी जेब में कुत्तों के लिये ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार य के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिये उत्प्रेरित करता है। यहॉ यदि क का आशय य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो तो ज्यों ही य के कुत्ते ने क के पीछे चलना प्रारम्भ किया, क ने चोरी की।

ग. मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते छुये एक बैल ए को मिलता है। वह उस बैल को इसलिये एक खास दिशा में हॉकता है किवे मूल्यवान वस्तुयें बेईमानी स`ले सकें। ज्योंहि उस बैल ने गतिमान होना प्रारम्भ किया ; ए ने मूल्यवान वस्तुऍ चोरी की।

घ. A, जो X का सेवक है और जिसे X ने अपनी प्लेट की देख–रेख न्यस्त कर दी है;X की सम्मति के बिना A प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया A ने चोरी की।

ड़. X यात्रा को जाते समय अपनी प्लेट लौट कर आने तक, A को, जो एक भंडागारिक है, न्यस्त कर देता है। A उस प्लेट को एक सुनार के पास ले जाता है और वह प्लेट बेच देता है। यहॉ वह प्लेट X के कब्जे में नही थी, इसलिए वह X के कब्जे में से नहीं ली सकती थी और A ने चोरी नही की है, चाहे उसने आपराधिक न्यास भंग किया है।

च) जिस ग्रह पर X का अधिभोग है, उसके मेज पर X की अंगूठी A को मिलती है। यहॉ वह ॲगूठी X के कब्जे में है; और यदि A उसकी बेईमानी से हटाता है तो वह चोरी करता है।

छ) ए को राजमार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नही है। ए ने उसके ले लेने से चोरी नही की है, भले ही उसने सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग किया हो।

ज) X के घर में मेज पर पड़ी हुई X की ॲगूठी A देखता है। तलाशी और पता लगने के भय से उस अंगूठी का तुरून्त दुर्विनियोग करने का साहस न करते हुए A उस ॲगूठी को ऐसे स्थान पर; जहॉ से उसका X को कभी मिलना अति अनधिसम्भाव्य है, इस आशय से छिपा देता है कि छिपाने के स्थान से उस समय ले ले और बेंच दे जबकि उसकी खोया जाना याद न रहे। यहॉ A ने उस ॲगूठी को प्रथम बार हटाते समय चोरी की हैं।

झ) X को, जो एक जौहरी है, A अपनी घड़ी समय ठीक करने के लिये परिदत्त करता है। X उसको अपनी दुकान पर ले जाता है। A, जिस पर उस जौहरी का कोई ऐसा ऋण नही है; जिसके लिये कि वह जौहरी उस घड़ी को प्रतिभूति के रूप मै विधिपूर्वक रोक सके, खुले तौर पर उस दुकान में

घुसता है; X के हाथ से अपनी घड़ी बलपूर्वक ले लेता है; और उसको ले जाता है। यहाँ A ने भले ही आपराधिक अतिचोर और हमला किया हो, उसने चोरी नही की है, क्योंकि जो कुछ भी उसने किया; बेईमानी से नही किया।

ञ) यदि उस घड़ी के मरम्मत के सम्बंध में X को A से धन शोद्या है और यदि X उस घड़ी को उस ऋण को प्रतिभूति के रूप में विधिपूर्वक रखे रहता है और A उस घड़ी को X के कब्जे में से इस आशय से ले लेता है कि X को उसके ऋण की प्रतिभूति रूप उस सम्पत्ति से वंचित कर दे तो उसने चोरी की है, क्योंकि वह उसे बेईमानी से लेता है।

ट) और यदि A अपनी घड़ी X के पास पणयम करने के बाद घड़ी के बदले लिए गये ऋण को चुकाए बिना उसे X के कब्जे में से X की सम्मति के बिना ले लेता है; तो उसने ही सम्पत्ति है; क्योकि वह उसको बेईमानी से लेता है।

ठ) A एक वस्तु को उस समय तक रख लेने के आशय से, जब तक कि उसके प्रत्यावर्त्तन के लिये पुरूस्कार के रूप में उसे धन अभिप्राप्त न हो जाए, X की सम्मति के बिना X के कब्जे में से लेता है। यहाँ A बेईमानी से लेता है इसलिये A ने चोरी की।

ड़) A, जो X का मित्र है, X की अनुपस्थिति में X के पुस्ताकालय में जाता है, और X की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिए और वापस करने के आशय से ले जाता है। यहाँ, यह अधि–सम्भाव्य है कि A ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिये उसकों X की विवक्षित सम्मति प्राप्त है। यदि A का यह विचार था, तो A ने चोरी नहीं की है।

ढ) X की पत्नी से A खैरात मॉगता है। वह A को धन, भोजन और कपड़े देती है, जिनकों A जानता है कि वे उसके पति X के है। यहाँ यह अभिसम्भाव्य है कि A का यह विचार हो कि X की पत्नी को भिक्षा देने का प्राधिकार है। यदि A का यह विचार था, तो A ने चोरी नही की है।

ण) A , X की पत्नी का जार है। वह A को एक मूल्यवान सम्पत्ति देती है, जिसके सम्बन्ध में A यह जानता है कि वह उसके पति X **की है; और वह ऐसी सम्पत्ति है, जिसको देने का प्राधिकार उसे** X से प्राप्त नहीं है। यदि A उस सम्पत्ति को बेईमानी से लेता है, तो वह चोरी करता है।

ल) X की सम्पत्ति को अपनी स्वयं की सम्पत्ति होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए B के कब्जे में से उस सम्पत्ति को A ले लेता है। यहाँ A बेईमानी से नही लेता, इसलिए वह चोरी नही करता।

(टिप्पणी)

चोरी (धारा 378) :–

''किसी व्यक्ति द्वारा किसी चल सम्पत्ति को बेईमानीपूर्ण आशय से किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य में से बिना उसकी सहमति से उसे हटाया जाना चोरी कहलाता है''

चोरी के आवश्यक तत्व –

चोरी की उपर्युक्त परिभाषा से उसके तत्व स्पष्ट हो जाते है। चोरी का अपराध कारित करने के लिये निम्नलिखित पॉच तत्व आवश्यक माने गये है–

01. सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय,
02. सम्पत्ति चल हो,
03. सम्पत्ति का दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया जाए
04. सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति की सम्मति के बिना लिया जाए
05. सम्पत्ति को हटाया जाना या ले जाना

1. सम्पत्ति को बेईमानी से लेने का आशय, –

चोरी का अपराध कारित किये जाने के लिये बेईमानीपूर्ण आशय का होना आवश्यक है। बेईमानीपूर्ण आशय को उस समय अस्तित्व में समझा जाएगा जब सम्पत्ति लेने वाला व्यक्ति एक व्यक्ति को संदोष लाभ या दूसरे व्यक्ति को संदोष हानि कारित करना चाहता है। यह आवश्यक नही है कि सम्पत्ति लेने वाले व्यक्ति को ही संदोष लाभ पहुॅचे, इतना ही पर्याप्त होगा यदि वह सम्पत्ति के स्वामी को संदोष हानि कारित करता है। **(मद्रा, 1946 नागपुर)**

इम्परर एण्ड नौश अलीखॉ 1911 इला0 के प्रकरण में अ एक लड़के ब से जैसे ही वह स्कूल से बाहर आता है कुछ पुस्तकें छीन लेता है और उससे कहता है कि पुस्तके तभी वापस होगी जब वह उसके घर आयेगा अ इस धारा के अन्तर्गत चोरी का अपराधी है।

उदाहरण – क, एक सिक्का संग्रहक ने, साथी सिक्का संग्राहक की जेब से बेईमानी पूर्वक मुरठी भर सिक्के निकाले परन्तु जब उसने उनका परीक्षण किया तो पाया कि वे उसके अपने ही सिक्के थे जिनकी कि उसके पास से पहले चोरी हुई थी। इस मामले में क चोरी का अपराधी है क्योंकि उसने दूसरें के जेब से उन सिक्कों को बेईमानीपूर्ण आशय से लिया था।

किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से अल्पकालिक वंचन द्वारा क्षति पहुॅचाना, चोरी माना जायेगा **(पी0 एक0 भार्गव एण्ड स्टेट, 1963)**

प्यारे लाल , ए0आई0आर0 1963 सु0को0 के बाद में अभियुक्त एक सरकारी कार्यालय में कर्मचारी था। उसने अपने कार्यालय से एक फाइल हटाकर एक बाहरी व्यक्ति को इस शर्त पर उपलब्ध कराया कि 2 दिन के पश्चात् वह फाइल कार्यालय को वापस लौटा दी जायेगी। उसे इस धारा के अन्तर्गत दोषी द्योषित किया गया।

02. सम्पत्ति चल हो :–

चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही हो सकती है, अचल सम्पत्ति की नही। चल सम्पत्ति से आशय ऐसी वस्तु अथवा सम्पत्ति से है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जायी जा सके। भूमि से लगी हुई सारी सम्पत्ति अचल सम्पत्ति होती है; लेकिन जब उस वस्तु को भूमि से अलग की जाती है, तो वह चोरी माना जायेगा।

स्पष्टीकरण 2

उदाहरणार्थ– भूमि में लगी हुई पेड़ अचल सम्पत्ति होती है, लेकिन ज्योहि उसे काट दिया जाता है तो वह चल सम्पत्ति हो जाती है, और चोरी का अपराध कारित मान लिया जाता है।

'मूर्ति' एक विधिक व्यक्तित्व है किन्तु कुछ कतिपय प्रयोजनों के लिये इसे चल सम्पत्ति माना जाता है और तब यह चोरी की विषय वस्तु होती है **(अहमद, ए0आई0आर0 1967 राजस्थान)** । लेकिन मानवीय शरीर को चाहे वह जीवित हो या मृत, चल सम्पत्ति नही माना गया है (**रामाधीन, 1902**)

03. सम्पत्ति को दूसरे व्यक्ति के कब्जे से लिया जाये:–

चेरी का अपराध कारित होने के लिए ऐसी वस्तु का किसी व्यक्ति के आधिपत्य में होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु या सम्पत्ति किसी व्यक्ति के अधिपत्य मैं से नही ली जाती है तो वहॉ चोरी का अपराध कारित नही होगा। उसे हम सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग कहेंगे।

दृष्टान्त (छ) क को राज मार्ग पर पड़ी हुई अंगूठी मिलती है जो किसी व्यक्ति के कब्जे में नही है। क ने उसके ले लेने से चोरी नही की है; भले ही उसने सम्पत्ति का आपराधिक दुर्निवियोग किया है।

उस व्यक्ति; जिसके कब्जे से सम्पत्ति ली गई हो, का उसका स्वामी होना आवश्यक नही है। सम्पत्ति पर वैद्य या अवैद्य ढ़ग से उसका कब्जा होना ही प्रर्याप्त है। दृष्टांत क कहता है– य की सम्मति के बिना य के कब्जे में से एक वृक्ष बेईमानी से लेने के आशय से य की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है। यहॉ ज्योंही क ने इस कार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की।

एक प्रकरण में किसी धोबी ने गांव के तालाब पर कपड़े धुलने के पश्चात् सूखने के लिये लटका दिया था और अभियुक्त बेईमानी से उन कपड़ों को उठा ले गया अभियुक्त को इस धारा के अन्तर्गत दोषी ठहराया गया क्योंकि जिस समय कपड़े हटाये गये उस समय वे धोबी के कब्जे में थे। (मथी, 1886)

04. सम्पत्ति बिना सहमति के लेना : –

चोरी का अपराध गठित करने के लिये यह आवश्यक है कि सम्पत्ति उस व्यक्ति की सहमति के बिना ली गई हो जिसके कब्जे में थी।

सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और वह सम्मति कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिये प्राधिकार रखता है दे सकता है। (**स्पष्टीकरण 05**)

दृष्टान्त (ढ) क, जो य का मित्र है, य की अनुपास्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है, और य की अभिव्यवत सम्मति के बिना एक पुस्तक केवल पढ़ने के लिये और वापस करने के आशय से ले जाता है। यहॉ यह अधिसम्भाव्य है कि क ने यह विचार किया हो कि पुस्तक उपयोग में लाने के लिये उसको य की विवाक्षित सम्मति प्राप्त है। यदि क का यह विचार था तो क ले चोरी नही की है।

उदाहरण – बिना अधिकारियों की आज्ञा के 'अ' एक हवाई जहाज उड़ा ले गया। दूसरे दिन उससे उक्त हवाई जहाज को यथा स्थान रख दिया। इस मामले में अ चोरी के अपराध का दोषी है। क्योंकि अधिकारियों की सम्मति के बिना कार्य किया है।

उदाहरण – अ चोरी करने के आशय से रात्रि में ब के घर में प्रवेश करता है और एक कमरे से एक वजनदार संदूक निकालकर आंगन में ले आता है जहॉ वह उसे खोलता है। खोलने के पश्चात् वह उस बाक्स में ऐसी कोई चीज नही पाता जो ले जाने योग्य हो और बाक्स को वही छोड़ कर चला जाता है। इस मामले में अ संहिता की धारा 442 के अधीन गृह अतिचार तथा चोरी के प्रयत्न के अपराध का दोषी होगा।

5.) **सम्पत्ति का हटाया जाना या ले जाना –**

जैसे ही किसी सम्पत्ति या वस्तु को बेईमानी पूर्ण आशय से हटाया जाता है यह अपराध पूर्ण हो जाता है। सम्पत्ति का उसके स्थान से रंचमात्र हटाया जाना ही चोरी का अपराध गठित कर देता है भले ही हटाने के पश्चात् सम्पत्ति को बहुत दूर न ले जाया गया हो।

स्पष्टीकरण 3 और 4 यह दर्शाते है कि कुछ मामलों में किस प्रकार हटाया जाना प्रभावकारी बनाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण 3 के अनुसार सम्मत्ति निम्न प्रकार से हटायी जा सकती है –

01. वस्तु को वास्तव में हटाकर
02. किसी अन्य वस्तु से पृथक कर तथा
03. उस बाधा को हटाकर जिसके द्वारा वस्तु के हटाये जाने को निवारित किया गया था।

उदाहरण – य एक ग्रह पर अधिभोग है उसके मेज पर य की अंगूठी क को मिलती है। यहॉ वह ॲगूठी य के कब्जे में है, और यदि क उसकी बेईमानी से हटाता है, तो वह चोरी करता है (**दृष्टान्त च**)

स्पष्टीकरण 4 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी जीव–जन्तु को हटाया हुआ कहा जाता है जब वह किसी साधन द्वारा उस जीव–जन्तु को हटाया है तथा वह ऐसी हर चीज को हटाता है जो इस प्रकार उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीवजन्तु द्वारा हटायी जाती है।

उदाहरण – मूल्यवान वस्तुओं की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है। वह उस बैल को इसलिए एक खाश दिशा में हॉकता है कि वे मूल्यवान वस्तुएॅ बईमानी से ले सके। ज्यों ही उस बैल ने गतिमान होना प्रारम्भ किया; क ने मूल्यवान वस्तुएॅ चोरी की। **(दृष्टगत ग)**

इस प्रकार चोरी का अपराध कारित होने के लिये उपर्युक्त पॉचों तत्वों का पाया जाना आवश्यक है। किसी एक भी तत्व के अभाव में चोरी का अपराध कारित हुआ नही माना जायेगा।

क्या कोई व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है–

हॉ, कुछ परिस्थितियों में व्यक्ति अपनी ही वस्तु की चोरी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के आधिपत्य में से अपनी ही सम्पत्ति को, किन्तु उसको धोखा देकर उसे सदोष हानि पहॅुचाने के आशय से प्राप्त कर लेता है, तो वह चोरी करता है, कहा जायेगा।

उदाहरणार्थ– अ ने अपनी एक घड़ी मरम्मत हेतु ब नामक घड़ीसाज को दी। घड़ी मरम्मत हो जाने पर ब अपना पारिश्रमिक प्राप्त कर लौटाने को तैयार है, लेकिन अ पारिश्रमिक नहीं देना चाहता है। वह ब से अपनी घड़ी बेईमानीपूर्ण आशय से ले जाता है। यहॉ अ अपनी ही घड़ी के लिये चोरी करने का दोषी है।

इसी प्रकार जहॉ कोई व्यक्ति अपने ही पशुओं की जो न्यायालय के आदेश के अधीन कुर्क है, न्यायालय की अनुमति के बिना हटाता है, वो वह चोरी करता है।

शेखहसन 1887 का वाद में अभियुक्त को चोरी करने के लिये इसलिये दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपने ही एक ऐसे बण्डल को, जो एक कांस्टेबल की अभिरक्षा में था, और जिसके लिये वह उत्तरदायी था, बेईमानीपूर्ण आशय से ले लिया था।

- एक अन्य उदाहरण में अ को ब का छाता चुराने के अभियोग में विचारित किया जा रहा था। अ ने अपने बचाव में कहा कि छाता के जाते समय वह नशे में था और भूल से वह यह समझ बैठा कि छात्रा उसका अपना है। इस प्रकरण में अ का मिथ्या विश्वास नशें के प्रभाव मै था और नशा उसने स्वेच्छया किया था। स्वेच्छया नशा का तर्क उन अपराधों के मामलो में प्रस्तुत किया जा सकता है जिन्हें पूर्ण करने के लिये अपेक्षित आशय की आवश्यकता होती है। चोरी के मामलो में दूसरे की सम्मजि लेने के लिए बेईमानीपूर्ण आशय की आवश्यकता होती है। जिसका इस प्रकरण में अभाव है। अतः अ चोरी के लिये दोषी नही ंहोगा।

चोरी के लिये दण्ड – (धार 379) :–

जो कोई चोरी करेगा; वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी; या जुर्माने से; या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

धारा 380– निवास गृह आदि में चोरीः

दण्ड– 07 वर्ष तक कारावास तथा जुर्माना।

धारा 381– लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे की सम्पत्ति की चोरी –

दण्ड– 07 वर्ष तक कारावास तथा जुर्माना।

धारा 382 – चोरी करने के लिये मृत्यु, उपहति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात् चोरी।

दण्ड– 10 वर्ष तक कारावास तथा जुर्माना।

धारा 382 के दृष्टान्त

क) य के कब्जे में की सम्पत्ति पर क चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास अपने वस्त्रों के भीतर एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिसे उसने य द्वारा प्रतिरोध किये जाने की दशा में य की उपहति करने के लिये अपने पास रखा था। क ने इस धारा 382 में परिभाषित अपराध किया है।

ख) क य की जेब काटता है; और ऐसा करने के लिये अपने कई साथियों की अपने पास इसलिये नियुक्ति करता है कि यदि य यह समझ जाये कि क्या हो रहा है और प्रतिरोध करें, या क को पकड़ने का प्रयत्न करे; वो वे य का अवरोध करें। क ने इस धारा मैं परिभाषित अपराध किया है।

अपकर्षण अथवा उद्दापन (धारा 383–389)

उद्दापन – चोरी का ही एक रूप है। चोरी में किसी व्यक्ति को बिना किसी भय में डाले उसकी सम्पत्ति से वंचित किया जाता है , जबकि उपकर्षण में ऐसे व्यक्ति को क्षति कारित करने का भय बताकर, उसकी सम्पत्ति से वंचित किया जाता है।

धारा 383 में उद्दापन की परिभाषा दी गई है और दण्ड धारा 384 में।

धारा 385 में उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को क्षति के भय में डालने के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है तथा धारा 386 में किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है और धारा 387 में उद्दापन करने के लिये किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालने के लिये दण्ड की व्यवस्था और धारा 388 में मृत्यु या आजीवन कारावास आदि से दण्डनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन के लिये दण्ड की व्यवस्था की गई है। और धारा 389 में उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालने के लिये दण्ड का प्रावधान किया गया है।

उद्दापन की परिभाषा – धारा 383 :–

'' जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है और तद्द्वारा इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्राकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में प्रवात परिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिये बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह 'उद्दापन करता है।''

टिप्पणी–

जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति करने के भय में साशय डालता है कि वह उस व्यक्ति को उसकी कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित अथवा मुद्रांकित कोई चीज, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, परिदत्त करने के लिये बईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वह 'उद्दापन' कहलाता है।

दृष्टान्त–

क) **क** यह धमकी देता है कि यदि **ख** ने उसको धन नही दिया तो वह **ख** के बारे में मानहानिकारक अपराध लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिये वह इस प्रकार **ख** को उत्प्रेरित करता है। **क** ने उदृदापन किया है।

ख) **क**, **ख** को धमकी देता है कि यदि वह **क** को कुछ देने के सम्बंध में अपने आपको आबद्ध करने वाला एक वचनपत्र हस्ताक्षरित करके **क** को परिदत्त नही कर देता, तो वह **ख** के शिशु को संदोष परिरोध में रखेगा। **ख** वचनपत्र हस्ताक्षरित करके **क** को परिदत्त कर देता है। **क** ने उदृदापन किया है।

ग) क यह धमकी देता है कि यदि **ख,ग** को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शास्तिु युक्त बन्धपत्र हस्ताक्षारित न करेगा और **ग** को न देगा, तो वह **ख** के खेत को जोत डालने के लिये ,लठैत भेज देगा और तद्दारा **ख** को वह बन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित करता है। **क** ने उदृदापन किया है।

घ) क , ख को घोर उपहति करने के भय में डालकर बेंईमानी से **ख** को उत्प्रेरित करता है कि वह एक कोरे कागज पर हस्ताक्षर कर दें या अपनी मुद्रा कथा दे और उसे **क** को परिदत्त कर दे। **ख** उस कागज पर हस्ताक्षर करके उसे **क** को परिदत्त कर देता है । यहॉ इस प्रकार हस्ताक्षरित कागज मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता है; इसलिए **क** ने उदृदापन किया है।

<u>उद्दापन के लिये आवश्यक शर्ते –</u>

अपकर्पण की उपर्युक्त परिभाषा से ,इसके निम्न लिखित तत्व स्पष्ट होते है–

01.किसी व्यक्ति को चोट या उपहाती के भय में डाला जाना,
02.भय स्वयं उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना,
03.ऐसा भय जान बूझ कर दिया जाना,
04.ऐसा भय का परिणाम उस व्यक्ति को कोई सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षरित या मुद्रांकित चीज; जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने योग्य हो देने के लिये उत्प्रेरित करना, एंव
05.ऐसा कोई कार्य बेईमानी आशय से किया जाना।

उदाहरण–

अ,ब से यह कहकर कोई सम्प्रति प्राप्त करता है कि आपका लड़का हमारे गिरोह के हाथ में है और उसे मार दिया जायेग, यदि आप हमें 10000 रूप्ये नही भेजते है। 'अ' इस धारा 383 वेद तहत अपराध का दोषी है।

उदाहरण–

इसी प्रकार अ, ब का ब्रीफकेस पाता है तथा वह ब को लिखता है कि वह उसे बीफकेस तब देगा जब वह उसे 500 रू0 अदा करेगा। यदि ब उसे 500 रू0 अदा कर देता है तो अ उद्दापन का अपराधी होगा किन्तु यदि वह उसे रू0 नही देता है तो अ उद्दापन कारित करने के प्रयत्न का दोषी होगा और यदि वह ब्रीफकेस लौटाता नही तो वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा।

चोरी और उद्दापन में अन्तर :–

1. चेरी के अपराध में अपराधी सम्पत्ति स्वामी की सम्पत्ति के बिना ही सम्पत्ति ले जाता है; जबकि उद्दापन का अपराध संदोष पूर्वक सम्मति प्राप्त करके किया जाता हैं
2. केवल चल सम्पत्ति ही चोरी की विषय वस्तु हो सकती है किन्तु उद्दापन के मामलो मे ऐसा नही है, हर तरह की सम्पत्ति उद्दापन की विषय वस्तु हो सकती है।
3. चोरी में सम्पत्ति स्वयं अपराधी द्वारा हटाई जाता है जबकि उद्दापन में सम्पत्ति अपराधी को या इसके इशारे पर किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त की जाती है।
4. चोरी ने सम्पत्ति हटाते समय बल भय या धमकी का प्रयोग नही होता; जबकि उद्दापन में साशय किसी व्यक्ति को भय में डालकर बेईमानी पूर्वक किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को परिदत्त करने के लिये के लिये उत्प्रेरित किया जाता है।

लूट की परिभाषा– (धारा 390) –

सामान्य – किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित करने के सम्बंध मे तीसरा महत्वपूर्ण एंव प्रचलित अपराध लूट है।

लूट, चोरी और उद्दापन का ही एक गम्भीर रूप है। प्रायः हर प्रकार की लूट मे चोरी या उद्दापन होता है, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ध है।

लूट :–

सब प्रकार की लूट में या चोरी या उद्दापन होता है।

चोरी कम लूट है –

चोरी 'लूट' है, यदि उस चोरी को करने के लिये या उस चोरी के करने में या उस चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छया किसी की मृत्यु या उपहति या उसका संदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का या तत्काल संदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

उद्दापन कब लूट है –

उद्दापन लूट है यदि अपराधी वह उद्दापन करते समय भय में डाले गये व्यक्ति की उपस्थिति में है और उस व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य

व्यक्ति की तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति या तत्काल संदोष अवरोध के भय मे डालकर वह उद्‌दापन करता है और इस प्रकार भय में डालकर, इस प्रकार भय में डाले गये व्यक्ति को उद्‌दापन की जाने वाली चीज उसी समय और नही ही परिदत्त करने के लिये उत्प्रेरित करता है।

स्पष्टीकरण – अपराधी का उपस्थिति होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपहति के या तत्काल संदोष अवरोध के भय में डालने के लिये प्रर्याप्त रूप से निकट हो।

<u>दृष्टान्त–</u>

क) क, य को दबोच लेता है, और य के कपड़े में से य का धन आभूषण य की सम्पत्ति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहॉ क ने चोरी की है और वह चोरी करने के लिये स्वेच्छया य का संदोष अवरोध कारित करता है। इसलिये क ने लूट की है ।

ख) क, य को राजमार्ग पर मिलता है; एक पिस्तौल दिला लाता है और य की थैली मॉगता है। परिणामस्वरूप य अपनी थैली दे देता है। यहॉ क ने य को तत्काल उपहति का भय दिखलाकर थैली उद्‌दापित की है और उद्‌दापन करते समय वह उसकी उपस्थिति में है, अतः क ने लूट की है।

ग) क राजमार्ग पर य और य के शिशु से मिलता है। क उस शिशु को पकड़ लेता है और यह धमकी देता है यदि य उसको अपनी थैली नही परिदत्त कर देता है तो वह उस शिशु को कगार से नीचे फेंक देगा। परिणाम स्वरूप य अपनी थैली परिदत्त कर देता है। यहॉ क ने य को यह भय कारित करके कि वह शिशु को, जो वहॉ उपस्थित है, तत्काल उपहति करेगा, य से उसकी थैली उद्‌दापित की है ; इसलिए क ने य को लूटा है।

घ) क , य से यह कहकर सम्पत्ति लेने का अभिप्राय करता है कि ''तुम्हारा शिशु मेरी टोली के हाथों में है और यदि तुम हमारे पास दस हजार रू0 नही भेज दोंगे, तो वह मार डाला जायेगा।'' यह उद्‌दापन है और इसी रूप में दण्डनीय है; किन्तु यह लूट नही है, जब तक कि य को उसके शिशु की तत्काल मृत्यु के भय मे न डाला जाए।

- चोरी कब लूट है –

निम्नलिखित परिस्थितियों में चोरी ''लूट'' होती है।

01. जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की –

क. मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध या

ख. तत्काल मृत्यु , तत्काल उपहति या तत्काल संदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है।

02. उपरोक्त कार्य निम्नलिखित में से किसी एक उद्‌देश्य की पूर्ति हेतु किया गया हो–

क. चोरी करने के लिये , या

ख. चोरी करने मे, या

ग. चोरी द्वारा अभिप्राप्त सम्पत्ति को ले जाने या ले जाने के प्रयत्न करने में।

इसको दृष्टांत ''क'' स्पष्ट करता है।

उदाहरण –

अ ने एक रेलवे कम्पार्टमेंट में जबकि ट्रे्न एक स्टेशन पर रूकने वाली थी द की घड़ी छीन लिया। द ने शोर, मचाना प्रारम्भ कर दिया। ब ने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया तथा अ और ब दोनों ही कम्पार्टमेंट से कूदकर भाग गये। कुछ ही समय बाद दोनों को रेलवे स्टेशन के समीप एक चाय की दुकान पर चाय पीते हुये पकड़ा गया। अ और ब दोनो ही धारा 392 संपादित धारा 34 भा0द0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है क्योंकि ब ने लूट करने तथा अ को पकड़े जाने से बचाने के सामान्य आशय के अग्रसरण में सहायता किया था और दोनों चोरी का समान लेकर भागने में सफल हो गये थे।

व्यक्ति शब्द की परिभाषा संहिता की धारा !! में दी गयी है। इसके अन्तर्गत प्राकृतिक तथा न्यायिक दोनों प्रकार के व्यक्ति आते है। सामान्यतया किसी मनुष्य का मृत शरीर 'व्यक्ति' नही हो सकता है किन्तु इस धारा के प्रयोजन हेतु उस मनुष्य शरीर को व्यक्ति माना गया है जिसकी मृत्यु उस प्रक्रिया के दौरान की गयी थी जिसके अन्तर्गत चोरी कारित हुई थी।(जमुनादास, ए0 आई0 आर0 1963 उच्चतम न्यायालय)

- उद्‌दापन कब लूट है–

यदि निम्नलिखित शर्ते पूरी हो रही हों तो उद्दापन लूट होता है–

01. यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं उसको या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहाति या तत्काल संदोष अवरोध के भय में डालकर उद्दापन कारित करता है, और

02. वह व्यक्ति इस प्रकार भय में डाला गया व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है जिससे भय में डाला गया व्यक्ति उद्दापन की जाने वाली वस्तु उसी समय और वहीं परिदत्त कर दें, और

03. उद्दापन कारित करते समय अभियुक्त भय में डाले गये व्यक्ति के समक्ष हो।

धारा 390 के दृष्टान्त ख, ग और घ यह स्पष्ट करते है कि कब उद्दापन लूट बन जाता है।

उदाहरण –

जहॉ अ एक पुलिस आफिसर ब से कुछ आभूषण उसे इस बात का भय दिखाते हुये प्राप्त करता है कि वह तत्काल जेल में बंद कर दिया जायेगा और कई महीनो तक मुक्त नही किया जायेगा, पुलिस आफिसर (इस धारा के अन्तर्गत लूट का दोषी होगा।

जहॉ अभियूक्त ने अपने शिकार पर चाकू से कई प्रहार किये जिससे वह उसके कान का बाली तथा चाभियों का गुच्छा जो उसके सलवार के नाड़ें से बंधा हुआ था, लेने में सफल हो गया, वह धारा 390 संपदित धारा 397 के अन्तर्गत दण्डनीय द्योषित किया गया (शिकन्दर एण्ड राज्य ,1984, दिल्ली)

<u>लूट की लिये दण्ड : (धारा 392)</u>

कठिन कारावास : अवधि 10 वर्ष तक और जुर्माना

यदि लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच की गयी हो तो कारावास 14 वर्ष एंव जुर्माना।

<u>चोरी उद्दापन एंव लूट में अन्तर –</u>

संयुक्त रूप से चोरी, उद्दापन एंव लूट में निम्न लिखित बिन्दुओं पर अन्तर पाया जाता है–

1. **सम्मति –** चोरी एंव लूट में अपराधी सम्पत्ति के मालिक की सम्मति के बिना सम्पत्ति प्राप्त करता है जबकि उद्दापन दोषपूर्ण ढ़ग से सम्मति प्राप्त करके किया जाता है।
2. **सम्पति –** चोरी केवल चल सम्पत्ति की ही की जा सकती है; जबकि उद्दापन और लूट में अचल सम्पत्ति की भी की जा सकती है।
3. **बल प्रयोग –** चोरी में बल–प्रयोग नही किया जाता है जबकि उद्दापन एंव लूट में बल प्रयोग का तत्व होता है।
4. **भय का तत्व –** चोरी में भय का तत्व नही होता; जबकि उद्दापन एंव लूट में भय का तत्व पाया जाता है।
5. **सम्पत्ति का परिदान –** चोरी में सम्पत्ति के स्वामी द्वारा उसका परिदान नही किया जाता ; जबकि उद्दापन एंव लूट में ऐसा परिदान किया जाता है।

लूट के प्रसल के लिए दण्ड :(धारा 393)

कठिन कारावास अवधि 07 वर्ष एंव जुर्माना

....

डकैती

किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वंचित किये जाने के सम्बन्ध में चौथा अपराध ''डकैती'' है। जिस प्रकार 'लूट' चोरी एंव उद्दापन का गम्भीर रूप है, उसी प्रकार 'डकैती' लूट का गम्भीर रूप है।

अतः स्पष्ट है कि डकैती में चोरी, आकर्षण एंव लूट सभी के तत्व रहते है। सिर्फ एक ही तत्व डकैती में ऐसा है जो इसे चोरी, उद्दापन एंव लूट से भिन्न करता है और वह है – अपराध कारित करने वाले व्यक्तियों की संख्या।

डकैती : (धारा 391)–

जब कि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते है या करने का प्रयत्न करते है या जहॉ कि वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते है और वे व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसे लूट के लिये जाने या ऐसे प्रयत्न मे मदद करते है, कुल मिलाकर पांच या अधिक है, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार लूट करता है, या उसका प्रयत्न करता है या उसमे मदद करता है, कहा जाता है कि वह ''डकैती' करता है।''

सम्बंधित वाद –

भा0 द0 संहिता की धारा 391 के अन्तर्गत निम्नलिखित सम्बंधित वाद स्पष्ट करते है–

1. 'संयुक्त' शब्द स्वयंहार में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों के एक होकर या सामूहिक रूप से कार्य करने को इंगित करा जायेगा, कि इस धारा में वर्णित अपराध कारित हुआ है।
2. डकैती, केवल अभियुक्तो की संख्या कि आधार पर लूट से भिन्न है। अभियुक्तों की गढ़ना करते समय उन दुष्प्रेरकों की भी गणना की जाती है जो अपराध स्थल पर उपस्थित रहते है और अपराध के पूरा होने में सहायता पहुॅचाते है। एक प्रकरण में घर के सदस्यों ने अधिक संख्या में डाकुओं को देखकर कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नही किया, अतः डाकुओं ने किसी प्रकार के हिंसा या बल का प्रयोग नही किया। यह अपराध डकैती का माना गया (**राम चन्द्र 1932 इला0**)

<u>पॉच से कम व्यक्तियों की दोषसिद्धि –</u>

श्याम बिहारी AIR 1957, सु0को0 के वाद में कहा गया कि डकैती के अपराध में पांच या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है और यह भी आवश्यक है कि वे या तो लूट करे या करने का प्रयत्न करे।

नाहू लाल तुलसी AIR 1956, आ0प्र0 के वाद मे कहा गया कि यह धारा तभी लागू होगी जब सभी व्यक्ति लूट कारित करने के सामान्य आशय के भागीदार हो।

लिंगय्या, AIR 1958, सु0को0 में कहा गया कि यदि डकैती करने वाले केवल पांच ही व्यक्ति है और उन पॉच में से केवल तीन ही दण्डित होते है तथा शेष दो को उन्मुक्ति प्रदान कर दी जाती है तो तीन व्यक्तियों की दोषसिद्धि न्याय संगत नही मानी जायेगी क्योंकि डकैती का अपराध पॉच से कम व्यक्ति सम्पादित नही कर सकते।

किन्तु घमण्डी , 1907 के वाद में यह कहा गया कि यदि अनेक व्यक्तियों को उन्मुक्ति प्रदान किये जाने के बावजूद यह पाया जाता है कि उन व्यक्तियों के साथ जिन्होनें अपराध में भाग लिया भाग लेने वालों का योग पॉच या इससे अधिक हो जा रहा है तो पहचाने गये व्यक्तियों की दोष सिद्धि भले ही उनकी संख्या पॉच से कम हो, विधि–विरूद्ध नही होगी।

डकैती के लिये दण्ड : (धारा 395)

आजीवन कारावास या कठिन कारावास से – अवधि 10 वर्ष तक और जुर्माने से भी।

हत्या सहित डकैती के लिये दण्ड : (धारा 396)

'यदि ऐसे पॉच या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हो, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तिायों में से हर व्यक्ति मृत्यु से, या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, द्ण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

मृत्यु या घोर उपहति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती : धारा 397

यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुघ का उपयोग करेगा, या किसी व्यक्ति को घोर उपहति कारित करेगा या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपहति कारित करने का प्रयत्न करेगा, तो वह कारावास, जिससे ऐसा अपराधी दण्डित किया जायेगा, 07 वर्ष से कम का नही होगा।

घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न : (धारा 398) –

07 वर्ष तक कारावास

डकैती करने के लिये तैयारी करना : (धारा 399)–

कठिन कारावास अवधि 10 वर्ष तक और जुर्माना भी।

डाकुओं की टोली का होने के लिए दण्ड– धारा 400

आजीवन कारावास या कठिन कारावास से अवधि 10 वर्ष और जुर्मना भी।

चोरों की टोली का होने के लिए दण्ड– धारा 401

07 वर्ष तक कठिन कारावास से और जुर्माना भी।

डकैती करने का प्रयोजन से एकत्रित होना – धारा 402

कठिन कारावास अवधि 07 वर्ष तक और जुर्माने से भी।

लूट और डकैती में अन्तर–

लूट – 390	डकैती – 391
1. लूट, चोरी या उद्दापन का गम्भीर रूप है। 2. लूट में व्यक्तियों की संख्या निश्चित नही होती। यह पॉच से कम व्यक्ति हो सकते है। 3. लूट के अपराध में किसी व्यक्ति की सम्पत्ति उसकी सहमति के बिना की जाती है।	1. डकैती, लूट का ही गम्भीर रूप है। 2. डकैती के अपराध के लिये पॉच या अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 3. डकैती में या तो सहमति का अभाव होता है या दोष पूर्ण ढ़ग से सहमति प्राप्त की जाती है।

लूट और उद्दापन में अन्तर–

लूट	उद्दापन
1. सम्मति का आभाव 2. उद्दापन द्वारा लूट में चल या अचल किसी भी सम्पत्ति का हो सकता है, चोरी द्वारा लूट में नही, लूट में बल प्रयोग कम आवश्यक तत्व है	1. दोष पूर्ण ढ़ग से सम्मति 2. इसमे चल या अचल सम्पत्ति का हो सकता है। 3. उद्दापन में उपहति का भय बना रहता है।

सम्पत्ति का आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में

(धारा 403) सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग :

संहिता की धारा 403 के अनुसार –

जो कोइ बेईमानी से किसी जंगम सम्पत्ति का दुर्विनियोग करेगा या उसको अपने उपयोग के लिये संपरिवर्तित कर लेगा वह दोनों में से किसी भाति के

कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा''

दृष्टान्त –

क). क, य की सम्पत्ति को उस समय जब कि उस सम्पत्ति को लेता है, यह विश्वास रखते हुए कि वह सम्पत्ति उसी की है; य के कब्जे में से सद्रभावपूर्वक लेता है। क चोरी का दोषी नही है किन्तु यदि क अपनी भूल मालूम होने के पश्चात् उस सम्पत्ति का बेईमानी से अपने लिये दुर्विनियोग कर लेता है, तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

ख). क, जो य का मित्र है, य की अनुपस्थिति में य के पुस्तकालय में जाता है और य की अभिव्यक्त सम्मति के बिना एक पुस्तक ले जाता है। यहॉ, यदि क का यह विचार था कि पढ़ने के प्रयोजन के लिये पुस्तक लेने की उसको य की विवक्षित सम्मति प्राप्त है, तो क ने चोरी नही की है किन्तु यदि क बाद में उस पुस्तक को अपने फायदे के लिये बेच देता है, तो वह इस धारा 403 के अधीन अपराध का दोषी है।

ग). क और ख एक घोड़े के संयुक्त स्वामी है। क उस घोड़े को उपयोग में लाने के आशय से ख के कब्जे में से उसे ले जाता है। यहॉ क को उस घोड़े को उपयोग मे लाने का अधिकार है इसलिए वह उसका बेईमानी से दुर्विनियोग नही करता है किन्तु यदि क उस घोड़े को बेच देता है और सम्पूर्ण आगम का अपने लिये विनियोग कर लेता है तो वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

स्पष्टीकरण –

01. केवल कुछ समय के लिये बेईमानी से दुर्विनियोग करना इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत दुर्विनियोग है।

दृष्टान्त –

क को य का एक सरकारी वचन पत्र मिलता है, जिस पर निरंक पृष्ठांकन है। क यह जानते हुये कि वह वचनपत्र य का है, उसे ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में बैकर के पास इस आशय से गिरवी रख देता है कि वह भविष्य में उसे य को प्रत्यावर्तित कर देगा। क ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।

स्पष्टीकरण 2– जिस व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति पड़ी मिल जाती है, जो किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में नही हैं और वह उसके स्वामी के लिये उसको संरक्षित रखने या उसके स्वामी

के लिये उसका संरक्षित रखने या उसके स्वामी को उसे प्रत्यावर्तित करने के प्रयोजन से ऐसी सम्पत्ति को लेता है, वह न तो बेईमानी से उसे लेता है और न बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है, और किसी अपराध का दोषी नही है। किन्तु वह ऊपर परिभाषित अपराध का दोषी है, यदि वह उसके स्वामी को जानते हुये या खोज निकालने के साधन रखते हुये अथवा उसके स्वामी को खोज निकालने ओर उसके स्वामी को उसकी मांग करने को धमर्थ करने के लिये उस सम्पत्ति को युक्तियुक्त समय तक रखे जाने रहने के पूर्व उसको अपने लिये विधियोजित कर लेता है।

ऐसी दशा में युक्तियुक्त साधन या है या युक्ति युक्त समय नया है, यह तथा का प्रश्न है?

यह आवश्यक नहीं है कि पाने वाला यह जानता हो कि सम्पत्ति का स्वामी कौन है या यह कि कोई विशिष्ट व्यक्ति उसका स्वामी है। यह प्रर्याप्त है कि उसको विधियोजित करते समय उसे यह विश्वास नही है कि वह उसकी अपनी सम्पत्ति है या सद्भावपूर्वक यह विश्वास है कि उसका स्वामी नही मिल सकता।

दृष्टात –

क. क को राजमार्ग पर एक रूपया पड़ा मिलता है। यह न जानते हुये कि वह रूपया किसका है, क उस रूपये का उठा लेता है। यहॉ क ने इस धारा 403 में परिभाषित अपराध नहीं किया है।

ख. क को सड़क पर एक चिट्ठी पड़ी मिलती है, जिसमें एक बैंक नोट है। उस चिट्ठी में दिये गये हुए निदेश और विषय वस्तु से उसे यह ज्ञात हो जाता है किवह नोट किसका है। वह उस नोट का विनियोग कर लेता है। वह इस प्यारा के अधीन अपराध का दोषी है।

ग. वाहक–देय एक चैक क को पड़ा मिलता है। वह उस व्यक्ति के सम्बन्ध में जिसका चैक खोया है, कोई अनुमान नही लगा सकता, किन्तु उस चैक पर उस व्यक्ति का नाम लिखा है जिसने वह चैक लिखा है। क यह जानता है कि वह व्यक्ति क को उस व्यक्ति का पता बता सकता है, जिसके पक्ष में वह चैक लिखा गया था। क उसके स्वामी को खोजने का प्रयत्न किये बिना उस चैक का विनियोग कर लेता है। वह इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

घ. क देखता है कि य की थैली, जिसमे धन है, य से गिर गई है। क ,वह थैली य को प्रत्यावर्तित करने के आशय से उठा लेता है। किन्तु तत्पश्चात् उसे अपने उपयोग के लिये विनियोजित कर लेता है। क ने इस धारा के अपराध किया है।

ड़ क को एक थैली, जिसमें धन है, पड़ी मिलती है। वह नहीं जानता है कि वह किसकी है। उसके पश्चात् उसे यह पता चल जाता है कि वह य की है, और वह उसे अपने आयोग के लिये विनियुक्त कर लेता है क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

च. क को एक मूल्यवान अगूँठी पड़ी मिलती है। वह नही जानता है कि वह किसकी है। क उसके स्वामी को खोज निकालने का प्रयत्न किये बिना उसे तुरन्त बेच देता है। क इस धारा के अधीन अपराध का दोषी है।

आवश्यक तत्व –

01. किसी सम्पत्ति का अपने उपयोग के लिये बेईमानी से दुर्विनियोग या संपरिवर्तन;
02. ऐसी सम्पत्ति चल सम्पत्ति हो।

उदाहरण – एक मामले में अ ने ब से कुछ रूपये उधार लिया था। अ ने उस ऋण का भुगतान ब को कर दिया किन्तु उसने भूल से पुन भुगतान किया। ब का या तो रूपये प्राप्त करते समय या उसके कुछ समय पश्चात् इस भूल का अहसास हो गया था। फिर भी उसने रूपये अपने पास रख लिये। ब को आपराधिक दुर्विनियोग के लिये दण्डनीय द्योषित किया गया (**शाम सुन्दर, 1870**)

इसी प्रकार एक दूसरे प्रकरण में अ, ब को किरायेदार था। वह किसी महीने के किराये का भुगतान ब को पहले ही कर चुका था। किन्तु भ्रमवश दुबारा भी भुगतान कर दिया। ब को बाद में यह पता चला कि किराये का भुगतान पहले ही हो चुका था। दुबारा किया गया भुगतान देय नहीं था। यदि यह जानते हुये कि उसे कोई किराया देय नही है, ब अतिरिक्त दी गई धनराशि को अपने कब्जें में रोक रखता है तो वह आपराधिक दुर्विनियोग का दोषी होगा।

महत्वपूर्णवाद– सम्राट एण्ड राजा हुसैन –1904

इसमें रेलवे टिकट देखने के फलस्वरूप बदल लेता है।

धारा 404 – ऐसी सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग जो मृत व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके कब्जे में थी – ''जो कोई किसी सम्पत्ति को, यह जानते हुये कि ऐसी सम्पत्ति, किसी व्यक्ति को मृत्यु के समय उस मृत्यु के समय उस मृत व्यक्ति के कब्जे में थी, और तब से किसी व्यक्ति के कब्जे में नही रही है, जो ऐसे कब्जे का वैद्यरूप से हकदार है, बेईमानी से दुर्विनियोजित करेगा या अपने उपयोग में सपरिवर्तित कर लेगा; वह दोनो में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने

से भी दण्डनीय होगा, और यदि वह अपराधी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में उसके द्वारा नियोजित था, तो कारावास 07 वर्ष तक का ही सकेगा।''

दृष्टान्त –

य के कब्जे में फर्नीचर और धन था। वह मर जाता है। सेवक क, उस धन को किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में आने से पूर्व जो ऐसे कब्जे का हकदार है, बेईमानी से उसका दुर्विनियोग करता है। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।

आपराधिक न्यास भंग के विषय में (धारा 405–409)

सामान्य :–

न्यास सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को , जिसमें कि वह विश्वास करता है, अपनी सम्पत्ति की देखरेख अथवा प्रबन्ध के लिये सौपता है तो वह दूसरा व्यक्ति पूर्ण निष्ठा एंव ईमानदारी से अपने कर्त्तव्य एंव दायित्व का निर्वाह करता है; और उसे करना भी चाहिए। लेकिन कभी–कभी इसके विपरीत बात भी हो सकती है और होती आयी है; जब ऐसे व्यक्ति कर्त्तव्य निष्ठा एंव ईमानदारह से परे होकर विश्वास भंग करता है, अर्थात् उस न्यस्त सम्पत्ति का दुर्विनियोग कर लेता है, तो वह अपराध करता है और ऐसे व्यक्ति को अवश्यमेव दण्डित किया जाना चाहिए। इसी सम्बंध में प्रावधान इस अध्याय में आवश्यक न्यास भंग शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है।

धारा 405 – आपराधिक न्याय भंग –

'' जो कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति पर कोई भी अखत्यार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किये जाने पर उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग से सम्परिवर्तित कर लेता है या जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है, उसकों विहित करने वाली विधि के किसी निवेश का या ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी अभिव्यक्त या विवक्षित वैध संविदा का अतिक्रमण करने के बेईमानी से उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययन करता है या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन करता है; वह 'आपराधिक न्यास भंग करता है''

स्पष्टीकरण 1.

जो व्यक्ति, किसी ऐसी स्थापन का नियोजन होते हुये, जो चाहे कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17 के अन्तर्गत छूट प्राप्त है अथवा नही, तत्समय प्रव्त्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुम्ब पेंशन विधि में जमा करने के लिये कर्मचारी अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेय, मजदूरी में से करता है, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसके द्वारा इस प्रकार कटौती किये गये अभिदाय की रकम उसे न्यस्त कर दी गयी है और यदि वह उक्त निधि में ऐसी अभिदाय का संदाय करने में उक्त विधि का अतिक्रमण करके, व्यतिक्रम करता है तो उसके बारें में यह समझा जायेगा कि उसने यथापूर्वाक्त विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमान से उपयोग किया है।

स्पष्टीकरण 02 :–

जो व्यक्ति नियोजक होते हुये, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा घारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिये कर्मचारी को संदेय मजदूरी में से कर्मचारी अभिदाय की कटौती करता है, उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसे अभिदाय की वह रकम न्यस्त कर दी गयी है, जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है और यदि वह उक्त निधि में ऐसे अभिदाय के संदाय करने में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके, व्यक्तिक्रम करता है; तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने यथा पूर्वावत विधि के किसी निदेश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है।

दृष्टान्त

क. क एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादक होते हुये उस विधि की जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने के लिये उसकों निदेश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है, उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिये विनियुक्त कर लेता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है।

ख. क भाण्डागरिक है। य मात्रा को जाते हुये अपनी फर्नीचर क के पास इस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है किवह भण्डागार के कमरे के लिये ठहराई गयी राशि के दे दिये जाने पर लौटा दिया जायेगा। क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यास – भंग किया है।

ग. क, जो कलकत्ता में निवास करता है, य का जो दिल्ली में निवास करता है, अभिकर्त्ता है। क और य के बीच यह अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि य द्वारा क को प्रेषित सब राशियॉ क द्वारा य के निदेश के अनुसार विनिहित की जायेगी। य, क को इन निदेशों के साथ 01 लाख रूपया भेजता है कि उसको कम्पनी पत्रों मे विनिहित किया जाए। क उन निदेशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में ले आता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है।

घ. किन्तु यदि दृष्टान्त ग में क बेईमानी से नही प्रत्युत सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुये कि बैक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना य के लिये अधिक लाभप्रद होगा; य के निदेशों की अवज्ञा करता है और कम्पनी पत्र खरीदने के बजाय य के लिये बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है, तो यद्यपि य को हानि हो जाये और उस हानि के कारण, वह क के विरूद्ध सिविल कार्यवाही करने का हकदार है; तथापि यतः क ने बेईमानी से कार्य नही किया है। उसने आपराधिक न्यास भंग नहीं किया है।

ड़ एक राजस्व आफिसर, क के पास लोक धन न्यस्त किया गया है और वह उस सब धन को , जो उसके पास न्यस्त किया गया है, एक निश्चित खजानें में जमा कर देने के लिये या तो विधि द्वारा निदेशित है या सरकार के साथ अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा द्वारा आबद्र है । क उस धन को बेईमानी से विर्नियोजित कर लिया है। क न आपराधिक न्यास भंग किया है।

च. भूमि से या जल से ले जाने के लिये य ने क के पास, जो एक वाहक है, सम्पत्ति न्यस्त की है। क उस सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है।
क ने आपराधिक न्यास भंग किया है।

आवश्यक तत्व

इस अपराध के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है–

01. किसी व्यक्ति के कोई सम्पत्ति या सम्पत्ति का कोई स्वत्व न्यस्त किया गया हो,
02. सम्पत्ति पर अख्तियार, रखने वाला व्यक्ति –

   क. उस सम्पत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर ले या अपने उपयोग के लिये संपरिवर्तित कर ले या –

   1. ऐसे न्यास के निर्वहन हेतु प्रकिया विहित करने वाली विधि के किसी निर्देश का, या

2. ऐसे न्यास के निर्वहन के बारे में उसके द्वारा की गई किसी वैद्य संविदा का अतिक्रमण करके।

ख. बेईमानी पूर्वक उस सम्पत्ति का उपयोग या व्ययनकर ले अथवा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति का ऐसा करना सहन कर ले।

धारा 406 – न्यास भंग के लिए दण्ड–

जे कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से , जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

वाद – सरदार सिंह एण्ड हरियाणा राज्य (1977) एस0सी0सी0

एस0 डब्लू0 पटनायक एण्ड विहार राज्य (2002) एस0सी0सी0

–– आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग में अन्तर––

आ0दुर्विनियोग (धारा 403)	आ0न्यास भंग (धारा 405)
सम्पत्ति का कब्जा	
1. आ0 दुर्विनियोग में जिस सम्पत्ति को अपने उपयोग में लाया जाता है उसका कब्जा किसी भी प्रकार से प्राप्त हो सकता है।	1. आ0 न्यास भंग के अपराध में अभियुक्त को सम्पत्ति विधि पूर्वक सौपी जाती है चाहे वह अभिव्यक्त संविदा द्वारा या विवक्षित द्वारा।
संविदा	
2. आपराधिक दुर्विनियोग में किसी प्रकार की कोई संविदा नही होती।	2) न्यास भंग में संविदा होती है।
3. दुर्विनियोग में अभियुक्त के पास सम्पत्ति आने के बाद कपटपूर्वक ढ़ग से उसके प्रयोग के लिये परिवर्तित कर ली जाती है।	3) न्यास भंग में सम्पत्ति का परिवर्तन न्यास संगत होने पर कपटपूर्वक ढ़ग से किया जाता है।
4. दुर्विनियोग की विषय वस्तु केवल चल सम्पत्ति ही हो सकती है।	4) न्यास भंग मे चल या अचल दोनों प्रकार की विषय वस्तु हो सकती है।
5. अपराधी और स्वामी के बीच किसी प्रकार के विश्वासाश्रित सम्बंध नही होते	5) इसमे दोनों के बीच न्यासवत् अर्थात् विश्वासाश्रित सम्बंध होते है।

छल के विषय में (धारा 415 – 420)

धारा 415 – छल :–

जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को रख रखे या साशय उस व्यक्ति को, जिसे इस प्रकार प्रंवचित किया गया है, उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कोई कार्य करे या करने का लोप करे, जिसे वह यदि उसे इस प्रकार प्रवंचित न किया गया होता तो न करता, या करने का लोप न करता और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति को शरीरिक, मानसिक ख्याति सम्बंधी या साम्पन्तिक नुकसान या उपहानि कारित होती है, या कारित होनी सम्भाव्य है, वह 'छल' करता है, यह कहा जाता है।

स्पष्टीकरण –

तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अन्तर्गत प्रवचना है।

दृष्टान्त

क. क सिविल सेवा में होने का मिथ्या व्ययदेशन करके साशय य से प्रवंचना करता है, और इस प्रकार बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है किवह उसे उधार पर माल ले लेने दे, जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नही है। क छल करता है।

ख. क एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर य से साशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गयी है और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिये य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

ग. क य को किसी वस्तु का नकली सैम्पिल दिखावाकर य से साशय प्रंवचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह वस्तु उस सैम्पिल के अनुरूप है और तद्द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसकस मूल्य चुकाने के लिये य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

<u>घ.</u> क, किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहॉ क का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा क का हुण्डी का अनादर किये जाने की प्रत्याशा है; साशय य से प्रंवचना करता है; और तद्द्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है कि वह यह वस्तु परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का आशय नहीं है। क छल करता है।

<u>ङ</u> क ऐसे नगों को , जिनको वह जानता है कि वे हीरे नही है, हीरों के रूप में गिरवी रखकर य से साशय प्रंवचना करता है और तद्द्वारा धन उधार देने के लिये य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है।

<u>च</u> क साशय प्रंवचना करके य को यह विश्वास कराता है कि क को जो धन य उधार देगा, उसे वह चुका देगा और तद्द्वारा बेईमानी से य को उत्प्रेरित करता है ि कवह धन उधार दे दे जबकि क का आशय उस धन को चुकाने का नही है। क छल करता है।

<u>छ</u> क य से साशय प्रवंचना करके यह विश्वास दिलाता है कि क का इरादा य को नील के पौधे का एक निश्चित परिणाम परिदन्त करने का है, जिसको परिदन्त करने का आशय नही है, और तद्द्वारा ऐसे परिदान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिये य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। क छल करता है। यदि क धन अभिप्राप्त करते समय नील परिदन्त करने का आशय रखता हो, और उसके पश्चात् अपनी संविदा भंग करदे और वह उसे परिदत्त न करे, वह छल नही करता है किन्तु संविदा भंग करने के लिये केवल सिविल कार्यवाही के दायित्व के अधीन है।

<u>ज</u> क साशय प्रवंचना करके य को यह विश्वास दिलाता है कि क ने य के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है , जबकि उसका पालन उसने नही किया है, और तद्द्वारा य को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह धन दे दें। क छल करता है।

<u>झ</u> क ख को एक सम्पदा बेचता है और हस्तान्तरित करता हैं। क यह जानते हुये कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप उस सम्पत्ति पर उसका कोई अधिकार नही है। ख को किये गये पूर्व विक्रय और हस्तान्तरण के तथ्य को प्रकट न करते हुये उसे य के हाथ बेच देता है या बन्धक रख देता है, और य से विक्रय या बन्धक धन प्राप्त कर लेता है। क छल करता है।

धारा 415 के अनुसार—————————————

जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धोखा देकर—

1. कपटपूर्वक या बेईमानी से उसे धोखा दिये हुये व्यक्ति को—
   क. कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को देने के लिये।
   ख. किसी व्यक्ति को कोई सम्पत्ति रखने को सहमत करने के लिये या
2. उस धोखा दिये गये व्यक्ति को ऐसा कार्य या लोप करने के लिये उत्प्रेरित करता है; जिसे यदि धोखा न दिया गया होता तो वह न करता और जिस कार्य या लोप से उस व्यक्ति के शरीर , मस्तिष्क, प्रतिष्ठा या सम्पत्ति को क्षति या हानि पहुॅचती हो या पहुॅचना सम्भव हो,तो उस व्यक्ति के सम्बंघ में यह कहा जाता है कि उसने ''छल'' किया है।

उदाहरण – दृष्टान्त (ड़) (च)

प्रतिरूपण द्वारा छल : (धारा 416)—

'कोई व्यक्ति ''प्रतिरूपण द्वारा छल करता है'' यह तब कहा जाता है, जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुये प्रतिस्थापित करके, या यह व्यपदिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है; जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, छल करता है।

स्पष्टीकरण— यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया गया है, वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक।

दृष्टान्त—

क. क उसी नाम का अमुक धनवार बैंकर है, इस आदेश द्वारा छल करता है। क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है।

ख. ख, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का आदेश करने द्वारा क छल करता है। क प्रतिरूपण द्वारा छल करता है।

छल के लिये दण्ड : (धारा 417)

01 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों।

प्रतिरूपण द्वारा छल के लिये दण्ड : (धारा 419)

03 वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों

कूट रचना : धारा 463

जो कोई किसी मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी भाग को इस आशय से रचता है कि लोक या किसी व्यक्ति को नुकसान या क्षति कारित की जाये या

01. किसी दावे या हक का समर्थन किया जाये या
02. यह कारित किया जाये कि कोई व्यक्ति सम्पत्ति अलग करे या
03. कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करे या
04. इस आशय से रचता है कि कपट करे या कपट किया जा सके, वह कूट रचना करता है''

आवश्यक तत्व : –

1. **कोई किसी मिथ्या दस्तावेज, या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख या दस्तावेज इलेक्ट्रानिक अभिलेख या उसके किसी भाग की रचना।**
2. **ऐसी रचना का निम्नलिखित आशय होना–**
   क. जनसाधारण या किसी व्यक्ति को हानि या क्षति कारित करना
   ख. किसी दावे या हक का समर्थन करना
   ग. किसी व्यक्ति से कोई सम्पत्ति छुड़ाना या अलग करना
   घ. कोई अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा करना
   ड. कपट किया जाए या कपट किया जा सकें।
   वह कूट रचना करता है।

उदाहरण – जी0एस0बंसल एंड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दिल्ली(ए0आई0आर0 1963 सु0 का0)

मिथ्या दस्तावेज रचना : (धारा 464)

उस व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति मिथ्या दस्तावेज या मिथ्या इलेक्ट्रानिक अभिलेख रचता है–

पहला– जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक इस आशय से–

क. किसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग को रचित, हस्ताक्षरित, मुंद्राकित या निष्पादित करता है;

ख. किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख या किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख के भाग को रचित या प्रेषित करता है।

ग. किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर कोई अंकीय हस्ताक्षर करता है;

घ. दस्तावेज या निष्पादन का अंकीय हस्ताक्षर की प्रामाणिकता द्योतन करने वाला कोई चिन्ह लगाता है कि यह विश्वास किया जाए कि ऐसी दस्तावेज या दस्तावेज के भाग, इलेक्ट्रानिक अभिलेख या अंकीय हस्ताक्षर की रचना ,हस्ताक्षरण , मुद्रांकन , निष्पादन, प्रेषण, ऐसे व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार द्वारा किया गया था, जिसके द्वारा या जिसके प्राधिका द्वारा उसकी रचना , हस्ताक्षरण, मुदांकन, निष्पादन या हस्ताक्षर न होने की बात वह जानता था, अथवा

दूसरा– जो किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के किसी तात्विक भाग में परिवर्तन उसके द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवर्तन के समय जीवित हो या नही उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख के रचित , निष्पादित या अंकीय हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् उसे रद्द्ध करने द्वारा या अन्यथा विधिपूर्वक प्राधिकार के बिना, बेईमानी से या कपटपूर्वक करता है, अथवा

तीसरा – जो किसी व्यक्ति द्वारा, यह जानते हुये कि ऐसा व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को विषय वस्तु को, परिवर्तन के रूप को चिन्त विकृति या मन्नता की हालत में होने के कारण जान नही सकता या उस प्रवचना के कारण जो उससे की गई है, जानता नही है, उस दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख का बेईमानी से या कपटपूर्वक हस्ताक्षारित , मुद्रांकित , निष्पादित या परिवर्तित किया जाना या किसी इलेक्ट्रानिक अभिलेख पर हस्ताक्षर कराया जाना कारित करता है।

दृष्टांत –

क. क के पास य द्वारा ख पर लिखा हुआ 10,000 रू0 का प्रव्यय पत्र है । ख से कपट करने के लिये क 10,000 रू0 में एक शून्य बढ़ा देता है और उस राशि को 1,00,000 इस आशय से बना देता है कि ख यह विश्वास कर ले कि य ने वह पत्र ऐसा ही लिखा था। क ने कूट रचना की है।

ख. क इस आशय से कि वह य की सम्पदा ख को बेच दे और उसके द्वारा ख से क्रय धन अभिप्राप्त करके, य के प्रधिकार के बिना य की मुद्रा एक ऐसी दस्तावेज पर लगाता है, जो कि य की ओर से क को सम्पदा का हस्तान्तर पत्र होना तात्पर्यित है। क ने कूट रचना की है।

ग. एक बैंकर पर लिखे हुये और वाहक को देय चैक को क उठा लेता है। चैक स्व द्वारा हस्ताक्षरित है, किन्तु उस चैक में कोई राशि अंकित नहीं है। क उसमें राशि धन लिख करके चैक को कपटपूर्वक भर लेता है। क ने कूट रचना की है।

इस धारा में दृष्टान्त क से ट तक है।

स्पष्टीकरण 1–किसी व्यक्ति का स्वयं अपने नाम का हस्ताक्षर करना कूट रचना की कोटि में आ सकेगा।

दृष्टान्त –

क. क एक विनिमय पत्र पर अपने हस्ताक्षर इस आशय से करता है कि यह विश्वास कर किया जाये कि वह विनिमय पत्र उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया था। क ने कूट रचना की है।

ग. क अपने नाम के किसी अन्य व्यक्ति के आदेशानुसार देय विनिमय पत्र पड़ा पाता है। क उसे उठा लाता है और यह विश्वास कराने के आशयसे स्वयं अपने नाम पृष्ठांकित करता है कि इस विनिमय पत्र पर पृष्ठांकन उसी व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके आदेशानुसार वह देय था। यहॉ क ने कूट रचना की है।

इस स्पष्टीकरण में दृष्टान्त क से ड़ तक है।

स्पष्टीकरण 2 –

कोई मिथ्या दस्तावेज किसी व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाये कि वह दस्तावेज एक वास्तविक व्यक्ति द्वारा रची गई थी, या किसी मृत व्यक्ति के नाम से इस आशय से रचना कि यह विश्वास कर लिया जाये कि वह दस्तावेज उस व्यक्ति द्वारा उसके जीवन काल में रची गई थी; कूट रचना की कोटि मे आ सकेगा।

दृष्टान्त –

क एक कल्पित व्यक्ति के नाम कोई विनिमय पत्र लिखता है; और उसका परक्रामण करने के आशय से उस विनिमय पत्र को ऐसे कल्पित व्यक्ति के नाम से कपटपूर्वक प्रतिग्रहीत कर देता है । क से कूट रचना की है।

स्पष्टीकरण 03 –

इस धारा के प्रयोजनों के लिये ''अंकीय हस्ताक्षर करना'' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौधोगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) में समनुदेशित है।

कूट रचना के लिये दण्ड : धारा 465 –

जो कोई कूट रचना करेगा, वह दोनों मे से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।